



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06042023-244986
CG-DL-E-06042023-244986

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 230]
No. 230]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 6, 2023/चैत्र 16, 1945
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 6, 2023/CHAITRA 16, 1945

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2023

फा. सं. एल-1/261/2021/केविआ.—चूंकि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली के लिए संयोजकता एवं सामान्य नेटवर्क पहुँच) विनियम, 2022 (इसके बाद जीएनए विनियम) भारत के राजपत्र असाधारण (भाग III, खण्ड 4, संख्या 364) में दिनांक 19.07.2022 को प्रकाशित किया गया,

चूंकि जीएनए विनियम के विनियम 1.2 में व्यवस्था है कि ये विनियम आयोग द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रवृत्त होंगे और विभिन्न तारीखें विभिन्न विनियमों के आरंभ के लिए तय की जा सकती हैं,

चूंकि भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित 14.10.2022 की अधिसूचना के माध्यम से, जीएनए विनियमों के कुछ उपबंध 15.10.2022 से प्रभावी हुए थे,

चूंकि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली के लिए संयोजकता एवं सामान्य नेटवर्क पहुँच) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2023 (इसके बाद "प्रथम संशोधन विनियम") 01.04.2023 को जारी किया गया।

और, अब इसलिए दिनांक 14.10.2022 की अधिसूचना के आंशिक संशोधन में यह अधिसूचित किया जाता है कि:

- प्रथम संशोधन विनियम, विनियम 23.1, 24.2, 24.3, 34.2, 34.3 और 34.4 के संशोधित उपबंधों तथा जीएनए विनियमों के नए विनियम 26.4, 26.5 और 26.6 को छोड़कर दिनांक 05.04.2023 से प्रभावी होंगे;
- विनियम 40.2 से 40.4, विनियम 43.1 के उपखण्ड (क) और (ख) दिनांक 05.04.2023 से प्रवृत्त होंगे;
- संयोजकता तथा जीएनए के लिए नए आवेदन और उनकी प्रोसेसिंग और अनुदान के संबंध में उपबंध दिनांक 05.04.2023 से प्रभावी होंगे;

- (घ) विनियम 37.1 सेविनियम 37.8 की प्रभावी तारीख 15.10.2022 के स्थान पर 05.04.2023 होगी और विकल्पों को 05.04.2023 को उनकी स्थिति के आधार पर इन विनियमों के अनुसार संबंधित इकाइयों द्वारा प्रयोग में लाया जाएगा।
- (ङ) विद्युत की शेड्यूलिंग और प्रेषण अगले अधिसूचना तक समय समय से यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2010 के उपबंधों के अनुसार ग्रिड के अन्य प्रयोक्ताओं और प्रत्येक नामित आईएसटीएस ग्राहकों के दीर्घकालिक पहुंच, मध्यकालिक निर्बाध पहुंच और अल्पकालिक निर्बाध पहुंच की मात्रा पर आधारित जारी रहेंगे।
- (च) एसटीओए,समय समय से यथासंशोधित और अगली अधिसूचना तक उसके अधीन जारी की गई विस्तृत क्रियाविधियां केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 के अधीन प्रदान किया जाना जारी रहेगा।
- (छ) अंतरराज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की बिलिंग, संग्रहण और संवितरण अगली अधिसूचना तक केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियम, 2020 के उपबंधों के अनुसार ग्रिड के अन्य प्रयोक्ताओं और प्रत्येक डीआईसी के दीर्घकालिक पहुंच, मध्यकालिक निर्बाध पहुंच और अल्पकालिक निर्बाध पहुंच की मात्रा पर आधारित जारी रहेंगे।

हरप्रीत सिंह पृथी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./011/2023-24]

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2023

F. No. L-1/261/2021/CERC.—Whereas, the Central Electricity Regulatory Commission (Connectivity and General Network Access to the inter-State Transmission System) Regulations, 2022 (hereinafter GNA Regulations) was, on 19.7.2022, published in the Gazette of India Extraordinary (Part-III, Section-4, No. 364),

Whereas, the Regulation 1.2 of the GNA regulations provides that the regulations shall come into force from the date to be notified by the Commission and different dates may be appointed for commencement of different regulations,

Whereas vide Notification dated 14.10.2022, published in the Gazette of India Extraordinary (Part-III, Section-4, No. 520), certain provisions of GNA Regulations were made effective from 15.10.2022,

Whereas, the Central Electricity Regulatory Commission (Connectivity and General Network Access to the inter-State Transmission System) (First Amendment) Regulations, 2023 (hereinafter 'First Amendment Regulations') was, issued on 01.04.2023.

And now, therefore, in partial modification of the Notification dated 14.10.2022, it is notified that:

- The First Amendment Regulations shall come into force with effect from 5.4.2023 except amended provisions of Regulations 23.1, 24.2, 24.3, 34.2, 34.3 and 34.4 and new Regulations 26.4, 26.5 and 26.6 of GNA Regulations;
- Regulations 40.2 to 40.4, sub-clauses (a) and (b) of Regulation 43.1 shall come into force with effect from 5.4.2023;
- The provisions regarding fresh applications for Connectivity and GNA and their processing and grant shall be made effective from 5.4.2023;
- The effective date of Regulation 37.1 to Regulation 37.8 shall be 5.4.2023 in place of 15.10.2022 and options shall be exercised by the concerned entities afresh in accordance with these regulations on the basis of their status as on 5.4.2023.
- Scheduling and Despatch of electricity shall continue to be based on the quantum of Long-Term Access (LTA), Medium-Term Open Access (MTOA) and Short-Term Open Access (STOA) of each of the Designated ISTS Customers (DICs) and other users of the grid in accordance with the provisions of the Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) Regulations, 2010, as amended from time to time, till further notification.

- (f) STOA shall continue to be granted under the Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in inter-State transmission) Regulations, 2008, as amended from time to time and the Detailed Procedures issued thereunder, till further notification.
- (g) Billing, Collection and Disbursement of the inter-State Transmission Charges and Losses shall continue to be based on the quantum of Long-Term Access (LTA), Medium-Term Open Access (MTOA) and Short-Term Open Access (STOA) of each of the DICs and other users of the grid in accordance with the provisions of the Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of inter-State Transmission Charges and Losses) Regulations, 2020 till further notification.

HARPREET SINGH PRUTHI, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./011/2023-24]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12082023-248064
CG-DL-E-12082023-248064

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 577]
No. 577]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 11, 2023/श्रावण 20, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 11, 2023/SHRAVANA 20, 1945

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2023

फा. सं. एल-1/261/2021/केविआ.—चूंकि, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली में संयोजकता और सामान्य नेटवर्क पहुंच) विनियम, 2022 (इसके बाद जीएनए विनियम) को भारत के असाधारण राजपत्र (भाग-III, खंड-4, सं.364) में दिनांक 19.07.2022 को प्रकाशित किया गया था;

चूंकि, जीएनए विनियमों के विनियम 1.2 में उपबंध है कि ये विनियम उस तारीख से प्रवृत्त होंगे जिसे आयोग द्वारा अधिसूचित किया जाएगा और विभिन्न विनियमों के आरंभ के लिए पृथक तारीखें निर्धारित की जा सकती हैं;

चूंकि, जीएनए विनियमों के कुछेक उपबंध भारत के असाधारण राजपत्र (भाग-III खण्ड-4, संख्या 520) में दिनांक 14.10.2022 की अधिसूचना के अनुसार 15.10.2022 से प्रभावी हो गए थे;

चूंकि, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली में संयोजकता और सामान्य नेटवर्क पहुंच) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2023 (इसके बाद 'प्रथम संशोधन विनियम') को भारत के असाधारण राजपत्र (भाग-III, खंड-4, सं. 229) में दिनांक 06.04.2023 को प्रकाशित किया गया था;

चूंकि, प्रथम संशोधन विनियम के कुछेक उपबंध और जीएनए विनियम के कुछेक उपबंध भारत के असाधारण राजपत्र (भाग-III खण्ड-4, संख्या 230) में दिनांक 06.04.2023 की अधिसूचना के अनुसार 05.04.2023 से प्रभावी हो गए थे;

और अब, इसलिए, यह अधिसूचित किया जाता है कि:

(क) प्रथम संशोधन विनियमों सहित जीएनए विनियमों के शेष विनियम दिनांक 01.10.2023 से प्रभावी होंगे।

- (ख) दिनांक 01.10.2023 से विद्युत का अनुसूचीकरण और प्रेषण प्रत्येक निर्दिष्ट आईएसटीएस ग्राहकों (डीआईसी) के जीएनए, जीएनए_{आरई}, टी-जीएनए और टीजीएनए_{आरई} और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2023 के उपबंधों के अनुसार ग्रिड अन्य उपयोगकर्ताओं की मात्रा पर आधारित होगा।

हरप्रीत सिंह प्रुथी, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./359/2023-24]

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd August, 2023

F. No. L-1/261/2021/CERC.—Whereas, the Central Electricity Regulatory Commission (Connectivity and General Network Access to the inter-State Transmission System) Regulations, 2022 (hereinafter GNA Regulations) was published on 19.7.2022 in the Gazette of India Extraordinary (Part-III, Section-4, No. 364);

Whereas, the Regulation 1.2 of the GNA regulations provides that the regulations shall come into force from the date to be notified by the Commission and different dates may be appointed for commencement of different regulations;

Whereas certain provisions of GNA Regulations were made effective from 15.10.2022 as per Notification dated 14.10.2022, published in the Gazette of India Extraordinary (Part-III, Section-4, No. 520);

Whereas, the Central Electricity Regulatory Commission (Connectivity and General Network Access to the inter-State Transmission System) (First Amendment) Regulations, 2023 (hereinafter 'First Amendment Regulations') was published on 06.04.2023 in the Gazette of India Extraordinary (Part-III, Section-4, No. 229);

Whereas certain provisions of the First Amendment Regulations and certain provisions of GNA Regulations were made effective from 05.04.2023 as per Notification dated 06.04.2023, published in the Gazette of India Extraordinary (Part-III, Section-4, No. 230);

And now, therefore, it is notified that:

- (a) The remaining Regulations of GNA Regulations including First Amendment Regulations shall come into effect from 01.10.2023;
- (b) Scheduling and Despatch of electricity with effect from 01.10.2023 shall be based on quantum of GNA, GNA_{RE}, T-GNA and T-GNA_{RE} of each of the Designated ISTS Customers (DICs) and other users of the grid in accordance with the provisions of the Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) Regulations, 2023.

HARPREET SINGH PRUTHI, Secy.

[ADV.T.-III/4/Exty./359/2023-24]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06042023-245012
CG-DL-E-06042023-245012

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 229]
No. 229]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 6, 2023/चैत्र 16, 1945
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 6, 2023/CHAITRA 16, 1945

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2023

सं. एल-1/261/2021/केविआ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 2 के खंड (47), धारा 38 की उप-धारा (2) के खंड (घ), धारा 40 के खंड (ग) और धारा 79 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के साथ पठित धारा 178 की उप-धारा (1) और धारा 178 की उप-धारा (2) के खंड (यड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्व प्रकाशन के बाद एतद्वारा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली में संयोजकता और सामान्य नेटवर्क पहुंच) विनियम, 2022 (इसके बाद "मूल विनियमों के रूप में संदर्भित") को संशोधित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:

1. संक्षिप्त शीर्षक और आरंभ

- इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली में संयोजकता और सामान्य नेटवर्क पहुंच) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2023 है।
- ये विनियम उस तारीख से प्रवृत्त होंगे जिसे केन्द्रीय आयोग द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

2. मूल विनियमों के विनियम 2.1 का संशोधन:

- मूल विनियमों के विनियम 2.1 के खंड (द) के बाद एक नया खंड, अर्थात् खंड (द-i) निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

"(द-i) "सामान्य नेटवर्क पहुंच-नवीकरणीय ऊर्जा" या जीएनए_{आरई} से शेयरिंग विनियमों के विनियम 13 के खंड (2) के अधीन कवर किए गए नवीकरणीय स्रोतों से विशेष रूप से विद्युत के आहरण के लिए इन विनियमों के अधीन अनुदत्त आईएसटीएस को निर्बाध पहुंच अभिप्रेत है"।

2.2 मूल विनियमों के विनियम 2.1 के खंड (न) के बाद एक नया खंड, अर्थात् खंड (न-i) निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

“(न-i) “होस्ट राज्य” से वह राज्य अभिप्रेत है जिसमें कोई इकाई भौगोलिक रूप से स्थित है;”

2.3 मूल विनियमों के विनियम 2.1 के खंड (कढ) के बाद एक नया खंड, अर्थात् खंड (कढ-i) निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

“(कढ-i) “अस्थायी सामान्य नेटवर्क पहुंच-नवीकरणीय ऊर्जा” या टी-जीएनए^{आरई} से शेरिंग विनियमों के विनियम 13 के खंड (2) में यथाविनिर्दिष्ट नवीकरणीय स्रोतों से विशेष रूप से प्राप्त टी-जीएनए अभिप्रेत है।”

3. मूल विनियमों के विनियम 5.2 का संशोधन:

3.1 मूल विनियमों के विनियम 5.2 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“विनियम 5.1 में किसी बात के होते हुए भी, सीटीयू के पूर्व अनुमोदन के साथ कोई उत्पादन स्टेशन या ईएसएस, किसी अन्य इकाई के स्वामित्व वाली क्षमता सहित उसे प्रदान की गई संयोजकता की मात्रा के अंदर, अतिरिक्त उत्पादन क्षमता या ईएसएस को जोड़ने का पात्र होगा:

परंतु यह कि उत्पादन स्टेशन या ईएसएस, मौजूदा संयोजकता अनुदानग्राही के नाते, विनियम 2.1 के खंड (म)(ii) या खंड (भ)(ii), यथास्थिति, के संदर्भ में ‘लीड उत्पादक’ या ‘लीड ईएसएस’ के रूप में ईएसएस सहित ऐसी अतिरिक्त क्षमता के लिए केन्द्रीय आयोग के अन्य विनियमों और ग्रिड कोड के साथ अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगा:

परंतु यह और कि किसी भी समय पर निवल अंतःक्षेपण मौजूदा संयोजकता अनुदानग्राही को प्रदान की गई कुल संयोजकता की मात्रा से अधिक नहीं होगा।

4. मूल विनियमों के विनियम 5.8 का संशोधन:

4.1 मूल विनियमों के विनियम 5.8 के खंड (vii) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“(vii) नवीकरणीय विद्युत पार्क विकासकर्ता के मामले में, निम्नानुसार यथा विनिर्दिष्ट खंडों (क) और (ख) के संयोजन में या खंडों (क) और (ग) के संयोजन में दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे:

(क) सौर विद्युत उत्पादकों या पवन विद्युत उत्पादकों की ओर से संयोजकता के लिए व्यवस्था सहित संरचनात्मक गतिविधियों को करने के लिए केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा यथा लागू प्राधिकरण; और

(ख) क्षमता के लिए अपेक्षित भूमि के 50% के लिए स्वामित्व या लीज अधिकार या भूमि उपयोग अधिकार के प्रमाण के रूप में पंजीकृत टाइटल डीड; या

(ग) उस क्षमता के लिए जिसके हेतु संयोजकता मांगी गई है, अपेक्षित भूमि के 50% के लिए भूमि के स्वामित्व या लीज अधिकार या भूमि के उपयोग अधिकार के बदले में रु. 10 लाख/मेगावाट की बैंक गारंटी इन विनियमों के विनियम 11क और 11ख के उपबंधों के अध्याधीन है।”

4.2 मूल विनियमों के विनियम 5.8 के खंड (x) के बाद एक नया खंड अर्थात् (xi) निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

“(xi) उन आवेदकों के मामले में जो आरईजीएस (हाइड्रो उत्पादन स्टेशन के अलावा) या ईएसएस (पंप वाले भंडारण संयंत्र (पीएसपी)) हैं, निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे:

(क) टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के परिणामस्वरूप वितरण अनुज्ञप्तिधारी की ओर से किसी प्राधिकृत एजेंसी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी या नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा लैटर ऑफ अवार्ड (एलओए), या उसके साथ किया गया विद्युत क्रय करार (पीपीए), यथा स्थिति:

परंतु यह कि बहु-स्थित आरईजीएस वाले आवेदकों के मामले में, नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी, यथास्थिति, द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित स्थानों और प्रत्येक स्थान पर क्षमता के विवरण प्रस्तुत किए जाएंगे।

या

(ख) क्षमता के लिए अपेक्षित भूमि के 50% के लिए स्वामित्व या लीज अधिकार या भूमि उपयोग अधिकार के प्रमाण के रूप में पंजीकृत टाइटल डीड;

या

(ग) उस क्षमता के लिए जिसके हेतु संयोजकता मांगी गई है, अपेक्षित भूमि के 50% के लिए भूमि के स्वामित्व या लीज अधिकार या भूमि के उपयोग अधिकार के बदले में रु. 10 लाख/मेगावाट की बैंक गारंटी इन विनियमों के विनियम 11क और 11ख के उपबंधों के अधीन है।”

5. मूल विनियमों के विनियम 7.1 और विनियम 7.2 का संशोधन:

5.1 मूल विनियमों के विनियम 7.1 में शब्दों “एटीएस” के स्थान पर शब्द “संवर्धन” रखा जाएगा।

5.2 मूल विनियमों के विनियम 7.2 में शब्दों “एटीएस” के स्थान पर शब्द “संवर्धन (एटीएस के साथ या एटीएस के बिना)” रखा जाएगा।

6. मूल विनियमों के विनियम 8.2 का संशोधन:

6.1 मूल विनियमों के विनियम 8.2 के प्रथम पैरा को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“8.2 (i) इन विनियमों के विनियम 7.1 और (ii) इन विनियमों के विनियम 7.2 (एटीएस के बिना संवर्धन) के अधीन कवर किए गए मामलों के लिए, संयो-बीजी2 और संयो-बीजी3 निम्नानुसार प्रस्तुत की जाएगी:”

6.2 मूल विनियमों के विनियम 8.2 के खंड (ख) के अधीन शब्दों “मौजूदा आईएसटीएस” के बाद शब्दों “और एटीएस के बिना संवर्धन, यदि कोई हो,” को जोड़ा जाएगा।

7. मूल विनियमों के विनियम 8.3 का संशोधन:

मूल विनियमों के विनियम 8.3 के प्रथम पैरा में शब्दों “इन विनियमों” के बाद शब्दों “जहाँ एटीएस के साथ संवर्धन आवश्यक है,” को जोड़ा जाएगा।

8. नया विनियम 11क: संयोजकता अनुदानग्राही द्वारा पूरी की जाने वाली उत्तरवर्ती शर्तें

8.1 मूल विनियमों के विनियम 11 के बाद एक नया विनियम, अर्थात्, विनियम 11क निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

“11क. संयोजकता अनुदानग्राही द्वारा पूरी की जाने वाली उत्तरवर्ती शर्तें

(1) कोई आवेदक जो कि विनियम 5.8 के खंड (xi)(ग) के अधीन कवर किया गया आरईजीएस (हाइड्रो उत्पादन स्टेशन के अलावा) या ईएसएस (पीएसपी को छोड़कर) है या इन विनियमों के विनियम 5.8 के खंड (vii)(ग) के अधीन कवर किया गया नवीकरणीय ऊर्जा पार्क विकासकर्ता है, संयोजकता के अंतिम अनुदान के जारी किए जाने के 180 दिनों के अंदर विनियम 5.8 के खंड (xi)(ख) या खंड (vii)(ख), यथास्थिति, के संदर्भ में भूमि के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करेगा। बैंक गारंटी को स्वामित्व या लीज अधिकार या भूमि उपयोग अधिकार के प्रमाण के रूप में निर्धारित दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण के 7 दिनों के अंदर वापस किया जाएगा।

(2) कोई आवेदक जो कि आरईजीएस (हाइड्रो उत्पादन स्टेशन के अलावा) या ईएसएस (पीएसपी को छोड़कर) या नवीकरणीय विद्युत पार्क विकासकर्ता है जिसे संयोजकता का अंतिम अनुदान जारी किया गया है, संयोजकता के अंतिम अनुदान के जारी किए जाने की तारीख से 12 मास की अवधि के अंदर इक्विटी के माध्यम से भूमि अधिग्रहण लागत सहित परियोजना लागत के कम से कम 10% की रिलीज का प्रमाणित करने वाला लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

(3) कोई आवेदक जो कि आरईजीएस (हाइड्रो उत्पादन स्टेशन के अलावा) या ईएसएस (पीएसपी को छोड़कर) या नवीकरणीय विद्युत पार्क विकासकर्ता है जिसे संयोजकता का अंतिम अनुदान जारी किया गया है, उसे (क) संयोजकता के अंतिम अनुदान जारी किए जाने की तारीख से 12 मास की अवधि के अंदर, यदि संयोजकता के अंतिम अनुदान जारी किए जाने की तारीख से 2 वर्षों के अंदर संयोजकता के आरंभ की तारीख है या (ख) संयोजकता के आरंभ की तारीख और संयोजकता के अंतिम अनुदान के जारी होने के बीच 50% समयावधि के समतुल्य अवधि, यदि संयोजकता के आरंभ की तारीख संयोजकता के अंतिम अनुदान के जारी होने की तारीख से 2 वर्षों से अधिक है, तो ऐसी संयोजकता की क्षमता के लिए वित्तीय समापन प्राप्त करना होगा:

परंतु यह कि ऐसा आवेदक वित्तीय समापन प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर परियोजना के वित्तीय समापन का प्रमाण (लोन सैंक्शन पत्र की प्रति या लोन राशि के प्रथम डिस्बर्सल के प्रमाण के साथ) या बोर्ड रेजोल्यूशन की प्रति (यदि परियोजना लागत के 100% के लिए आंतरिक निधिकरण नियोजित है) प्रस्तुत करेगा।

(4) उन आवेदकों के मामले में जिन्हें विनियम 5.8 के खंडों (xi)(ख) या (xi)(ग) के अधीन संयोजकता प्रदान की गई है, परंतु बाद में विनियम 5.8 के खंड (xi)(क) के अधीन कवर किए गए हैं, खंडों (1) और (3) के अनुसार दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा वही होगी जो विनियम 5.8 के खंड (xi)(क) के अधीन कवर की गई इकाइयों पर लागू है।

11ख. विनियम 11क के अधीन शर्तों को न पूरा करने के परिणाम

(1) यदि इन विनियमों के विनियम 5.8 के खंड (xi)(ग) के अधीन कवर किया गया संयोजकता अनुदानग्राही या विनियम 5.8 के खंड (vii)(ग) के अधीन कवर किया गया नवीकरणीय विद्युत पार्क विकासकर्ता, इन विनियमों के विनियम 11क के खंड (1) के अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल होता है, तो उसकी संयोजकता को प्रतिसंहरण किया जाएगा, भूमि के बदले में प्रस्तुत की गई रु. 10 लाख/मेगावाट के बैंक गारंटी का नकदीकरण किया जाएगा और इन विनियमों के विनियम 24.2 या विनियम 24.3, यथा लागू के संदर्भ में संयो-बीजी1, संयो-बीजी1 और संयो-बीजी3 का व्यवहार किया जाएगा।

(2) यदि संयोजकता अनुदानग्राही इन विनियमों के विनियम 11क के खंड (2) के अनुसार दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में विफल होता है या निर्धारित समय के अंदर वित्तीय समापन को प्राप्त करने में विफल होता है या इन विनियमों के विनियम 11क के खंड (3) के अनुसार निर्धारित समय के अंदर वित्तीय समापन की प्रति प्रस्तुत करने में विफल होता है, तो संयोजकता का प्रतिसंहरण किया जाएगा और और इन विनियमों के विनियम 24.2 या विनियम 24.3, यथा लागू के संदर्भ में संयो-बीजी1, संयो-बीजी2 और संयो-बीजी3 का व्यवहार किया जाएगा।

9. मूल विनियमों के विनियम 15.1 का संशोधन:

9.1 विनियम 15.1 के अंत में चिह्न 'पूर्ण विराम' और मूल विनियमों के परंतुक को चिह्न 'विसर्ग' के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा।

9.2 मूल विनियमों के विनियम 15.1 के प्रथम परंतुक के बाद एक नया परंतुक निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

"परंतु यह और कि जहाँ किसी थोक उपभोक्ता को विनियम 17.1(iii) के अधीन जीएनए का अनुदान किया गया है, ऐसे थोक उपभोक्ता को प्रदान किए गए जीएनए को उसके सहायकों द्वारा हिस्सों में या पूर्णतया उपयोग किया जा सकता है या विपर्ययेन, यदि ऐसा थोक उपभोक्ता या उसके सहायक आईएसटीएस के समान संयोजन बिंदु पर जुड़े हैं।"

10. मूल विनियमों के विनियम 16.2 का संशोधन:

10.1 मूल विनियमों के विनियम 16.2 में एक नया परंतुक निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

"परंतु यह कि वित्त वर्ष में संयोजकता अनुदानग्राही द्वारा भाग की क्षमता के वाणिज्यिक प्रचालन की घोषणा के मामले में, वित्त वर्ष के अंदर वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित ऐसी क्षमता की कुल मात्रा को वित्त वर्ष के अंत में संयो-बीजी2 और संयो-बीजी3 को वापस करते समय माना जाएगा।"

11. मूल विनियमों का नया विनियम 16.5

11.1 मूल विनियमों के विनियम 16.4 के बाद एक नया विनियम 16.5 निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

"16.5 इन विनियमों के विनियम 17.1 के खंड (iii) के अधीन कवर की गई इकाई के लिए संयो-बीजी1, विद्युत के आहरण के आरंभ के एक मास के अंदर वापस की जाएगी। संयो-बीजी 2 और संयो-बीजी 3, यथा उपलब्ध, वित्त वर्ष के अंत में विद्युत के आहरण के आरंभ के बाद या जीएनए की अवधि की समाप्ति के एक मास के अंदर, जो भी पहले हो, पांच वर्षों में पांच समान हिस्सों में वापस की जाएगी।"

12. मूल विनियमों के विनियम 17.1 का संशोधन:

12.1 मूल विनियमों के विनियम 17.1 के खंड (v) के बाद एक नया खंड, अर्थात् (vi) को निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

"(vi) एक अंतःक्षेपण करने वाली इकाई जिसे अंतःराज्यिक पारेषण प्रणाली में संयोजकता प्रदान की गई है और आईएसटीएस में अंतःक्षेपण के उद्देश्य हेतु जीएनए की मांग कर रही है।"

13. मूल विनियमों के विनियम 18.1 का संशोधन:

13.1 मूल विनियमों के विनियम 18.1 के खंड (च) के बाद एक परंतुक निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

“परंतु यह कि अंतःराज्यिक पारेषण प्रणाली से वह जुड़ा उत्पादन स्टेशन जो संयोजकता विनियम, 2009 के आधीन प्रभावी हो गया है, जहाँ दीर्घकालिक पहुंच ऐसी इकाई या उसके ज्ञात क्रेता को प्रदान की गई है, उसे इन विनियमों के अधीन ऐसी दीर्घकालिक पहुंच की मात्रा के बराबर जीएनए अनुदान किया गया समझा जाएगा।”

14. नया विनियम 18.3:

14.1 मूल विनियमों के विनियम 18.2 के बाद एक नया विनियम, अर्थात् विनियम 18.3 निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

“18.3 एक होस्ट राज्य के लिए जिसमें उत्पादन स्टेशन, जो कि प्रादेशिक इकाई है, स्थित है, और जो केवल एसटीयू प्रणाली से जुड़ा है या एसटीयू प्रणाली और आईएसटीएस दोनों से जुड़ा है, अनुबंध-I में जीएनए मात्रा, इन विनियमों के अनुबंध-II में विनिर्दिष्ट पद्धति के आधार पर संगणित जीएनए मात्रा से घटाई जाएगी।”

15. मूल विनियमों के विनियम 20.3 का संशोधन:

15.1 मूल विनियमों के विनियम 20.3 में शब्दों “खंड (v) के अधीन” के बाद शब्दों “और (vi) को जोड़ा जाएगा।

16. नया विनियम 20.4, विनियम 20.5 और विनियम 20.6

16.1 मूल विनियमों के विनियम 20.3 के बाद नए विनियम 20.4, 20.5 और 20.6 निम्नानुसार जोड़े जाएंगे:

“20.4 इन विनियमों के विनियम 17.1 के खंडों (ii) और (iii) के अधीन कवर की गई इकाइयाँ, विनिर्दिष्ट तारीख से, विनिर्दिष्ट मात्रा के लिए, और ग्यारह मास से अधिक की विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, प्रदेश के भीतर और प्रदेश से बाहर जीएनए_{आरई} का द्विभाजन इंगित करते हुए जीएनए_{आरई} के लिए आवेदन कर सकते हैं।

परंतु यह कि इन विनियमों के विनियम 17.1 के खंड (ii) के अधीन कवर की गई इकाइयाँ, जीएनए_{आरई} की ऐसी मात्रा और अवधि के लिए अंतःराज्यिक पारेषण प्रणाली में पारेषण क्षमता के उपलब्धता के संदर्भ में संबंधित एसटीयू की सहमति प्रस्तुत करेंगी।

परंतु यह और कि जीएनए_{आरई} इन विनियमों और शेयरिंग विनियमों के विनियम 13 के खंड (2) के अधीन विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के अलावा जीएनए की तरह उन्हीं निबंधनों और शर्तों के अधीन होगा:

परंतु यह भी कि:

यदि इस खंड के अधीन कवर की गई इकाई, शेयरिंग विनियमों के विनियम 13 के खंड (2) में विनिर्दिष्ट स्रोतों के अलावा स्रोतों से विद्युत आहरण करने की इच्छुक है, तो वह:

(क) शेयरिंग विनियमों के अनुसार पारेषण विचलन दर पर पारेषण प्रभारों के भुगतान के साथ जीएनए_{आरई} के अधीन ऐसी विद्युत को अनुसूचित करवा सकती है; या

(ख) नोडल एजेंसी को आवेदन करके पूरी जीएनए_{आरई} को जीएनए में परिवर्तित करवा सकती है।

20.5 इन विनियमों के विनियम 20.4 के अधीन कवर की गई इकाइयाँ, अतिरिक्त जीएनए_{आरई} या टी-जीएनए_{आरई} के लिए आवेदन कर सकती हैं, यदि उनकी आहरण आवश्यकता जीएनए_{आरई} की मात्रा से अधिक है। जीएनए_{आरई} वाली कोई इकाई, जीएनए या टी-जीएनए प्राप्त करने की पात्र नहीं होगी, तथापि विनियम 20.4 के उपबंधों के अनुसार वह अपनी जीएनए_{आरई} को जीएनए में परिवर्तित कर सकती है।

20.6 कोई इकाई जो कि जीएनए अनुदानग्राही है, जीएनए_{आरई} या टी-जीएनए_{आरई} प्राप्त करने की पात्र नहीं होगी। ऐसी इकाई अतिरिक्त आहरण आवश्यकता के लिए अतिरिक्त जीएनए या टी-जीएनए की मांग कर सकती है।”

17. मूल विनियमों के विनियम 22.2 का संशोधन:

17.1 दो नए खंड, अर्थात् (ख-*i*) और (ख-*ii*) को मूल विनियमों के विनियम 22.2 के खंड (ख) के बाद निम्नानुसार जोड़ा जाएगा:

“(ख-*i*) विनियम 17.1 के खंड (iii) के अधीन कवर इकाइयाँ, प्रति आवेदन रु. 50 लाख के लिए संयो-बीजी1 और रु. 2 लाख/मेगावाट के लिए संयो-बीजी3 प्रस्तुत करेंगी।

(ख-*ii*) मूल विनियम 17.1 के खंड (अप) के अधीन कवर और आईएसटीएस में अंतःक्षेपण के लिए जीएनए आवेदन करने वाली इकाइयाँ, विनियम 4.1 के अधीन इकाइयों को यथा लागू सभी अपेक्षाओं का अनुपालन

करेंगी। ऐसी इकाइयों के लिए, संयो-बीजी1, संयो-बीजी2 और संयो-बीजी3 इन विनियमों के विनियम 16 के अनुसार या जीएनए की अवधि की समाप्ति पर, जो भी पहले हो, वापस की जाएंगी।”

17.2 मूल विनियमों के विनियम 22.2 के खंड (घ) के प्रथम परंतुक और प्रथम पैरा के अंत पर विशेष चिह्न “।” के स्थान पर विशेष चिह्न “:” को रखा जाएगा।

18. मूल विनियमों के विनियम 23.1 का संशोधन:

18.1 मूल विनियमों के विनियम 23.1 के प्रथम पैरा में जहाँ भी शब्द “विनियम 17.1” आते हैं, तो उनके बाद शब्दों “के खंडों (i) से (v)” को जोड़ा जाएगा।

18.2 मूल विनियमों के विनियम 23.1 के प्रथम पैरा में संख्या और शब्दों “1 (एक) वर्ष” के स्थान पर संख्या और शब्दों “3 (तीन) वर्षों” को रखा जाएगा।

19. मूल विनियमों के विनियम 24.2 का संशोधन:

19.1 मूल विनियमों के विनियम 24.2 के प्रथम पैरा में शब्दों “विनियम 7.1” के बाद शब्दों “और विनियम 7.2 (एटीएस के बिना संवर्धन)” को जोड़ा जाएगा।

20. मूल विनियमों के विनियम 24.3 का संशोधन:

20.1 मूल विनियमों के विनियम 24.3 के प्रथम पैरा में शब्दों “विनियम 7.2 के अधीन कवर की गई इकाइयों के लिए” के बाद शब्दों “जहाँ एटीएस के साथ संवर्धन अपेक्षित है” को जोड़ा जाएगा।

21. नया विनियम 24.6 – संयोजकता का प्रतिसंहरण:

21.1 एक नया विनियम, अर्थात्, विनियम 24.6 निम्नानुसार मूल विनियमों के विनियम 24.5 के बाद जोड़ा जाएगा:

“24.6 संयोजकता का प्रतिसंहरण

(1)

(क) संयोजकता तदनुरूपी क्षमता के लिए प्रतिसंहरित की जाएगी, यदि संयोजकता और तदनुरूपी जीएनए इन विनियमों के विनियम 22.4 (क) के अनुसार प्रभावी बनाया गया है और संयोजकता अनुदानग्राही सीओडी प्राप्त करने के लिए पूर्णता या आंशिक रूप से इस तारीख को या पूर्व असफल रहता है,

(i) नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसी या वितरण अनुज्ञप्तिधारियों या वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की ओर से प्राधिकृत एजेंसी, यथास्थिति, अनुमत्त विलंबित या यथाविस्तारित या संयोजकता प्रदान करने के लिए आवेदन करते समय यथासूचित विनियम 5.8 के खण्ड (xi)(क) के अधीन कवर किए गए मामलों के लिए उत्पादन परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन की अनुसूचित तारीख।

(ii) विनियम 5.8 के खण्ड (xi)(ख) और (xi)(ग) के अधीन कवर किए गए मामलों के लिए संयोजकता प्रदान करने के लिए आवेदन करते समय यथासूचित वाणिज्यिक प्रचालन की अनुसूचित तारीख के छः माहबाद।

(ख) उन आवेदकों के मामले में जिन्हें विनियम 5.8 के खण्ड (xi)(ख) और (xi)(ग) के अधीन संयोजकता प्रदान की गई है लेकिन विनियम 5.8 के (xi)(क) के अधीन तदन्तर कवर किया गया है, सीओडी की घोषणा के लिए अंतिम तारीख, नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसी या वितरण अनुज्ञप्तिधारियों या वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की ओर से प्राधिकृत एजेंसी, यथास्थिति, अनुमत्त विलंबित रूप से आरंभ या यथाविस्तारित या परियोजना की एससीओडी होगी।

(ग) आरईजीएस (हाइड्रो उत्पादन स्टेशन से भिन्न) या ईएसएस (पीएसपी को छोड़कर) को प्रदान की गई संयोजकता प्रतिसंहरित की जाएगी, यदि एलओए या पीपीए जिसके आधार पर संयोजकता प्रदान की गई थी, परियोजना की सीओडी से पूर्व समाप्त हो गई है।

(घ) नवीकरणीय पावर पार्क विकासकर्ता को प्रदान की गई संयोजकता तदनुरूपी क्षमता के लिए प्रतिसंहरित की जाएगी, यदि पावर पार्क के अंदर उत्पादन स्टेशन (स्टेशनों) सीओडी प्राप्त करने के लिए इस तारीख को या पूर्व असफल रहता है।

(i) नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसी या वितरण अनुज्ञप्तिधारियों या वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की ओर से प्राधिकृत एजेंसी, यथास्थिति, अनुमत्त विलंबित रूप से आरंभ या यथाविस्तारित एलओए या पीपीए के अनुसार उत्पादन परियोजना की वाणिज्यिक प्रचालन की अनुसूचित तारीख।

(ii) एलओए या पीपीए के बिना स्थापित किए जा रहे उत्पादन स्टेशन (स्टेशनों) के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की अनुसूचित तारीख के बाद छः माह।

(2) इस विनियम के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) से (घ) के अधीन संयोजकता के प्रतिसंहरण के मामले में, संयो-बीजी-1, संयो-बीजी-2 और संयो-बीजी-3, यथालागू इन विनियमों के विनियम 24.2 या विनियम 24.3 के अनुसार किया जाएगा।”

(22) मूल विनियम के विनियम 25.1 का संशोधन:

22.1 मूल विनियम के विनियम 25.1 (खण्ड (क) से (घ) के सिवाय) निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“25.1 विनियम 17.1 के खण्ड (i) से (v) के अधीन कवर की गई इकाई के लिए, एक बार प्रदान की गई जीएनए का निम्नानुसार पचास लाख रुपये की फीस (जिसे त्याग प्रभारों से समायोजित किया जाएगा) सहित, नोटल एजेंसी को एक वर्ष के नोटिस सहित पूर्ण रूप से या भाग रूप में त्याग किया जा सकता है।”

22.2 संख्या “24” को मूल विनियम के विनियम 25.1 के खण्ड (क) और (ख) में संख्या “18” के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा।

22.3 शब्द “प्रदत्त” शब्द “प्रतिदेय” के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा जहां यह मूल विनियम के विनियम 25.1 के खण्ड (क) और (ख) में घटित होता है।

22.4 शब्द “(iv)” को मूल विनियम के विनियम 25.1 के खण्ड (ख) में शब्द “(v)” से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

22.5 द्वितीय परन्तुक को निम्नानुसार मूल विनियम के विनियम 25.1 के खण्ड (ख) में प्रथम परन्तुक के बाद जोड़ा जाएगा:

“परन्तु यह कि इन विनियमों के विनियम 17.1 के खण्ड (iii) के अधीन कवर की गई इकाई के लिए, यदि जीएनए का जीएनए की प्रभावी तारीख से पूर्व त्याग किया जाता है, संयो-बीजी-1, और संयो-बीजी-3, को त्याग प्रभारों के रूप में त्याग मात्रा के तदनुरूपी नगदीकृत किया जाएगा।”

22.6 नया खण्ड, अर्थात्, खण्ड (ड) निम्नानुसार मूल विनियम के विनियम 25.1 के खण्ड (घ) के बाद जोड़ा जाएगा:

“(ड)त्याग प्रभार, त्याग की प्रभावी तारीख के एक माह पूर्व अदा किया जाएगा जिसकी विफलता की स्थिति में त्याग प्रभावी नहीं होगा।”

22.7 नया खण्ड 25.3 निम्नानुसार मूल विनियम के विनियम 25.2 के बाद जोड़ा जाएगा:

“25.3 विनियम 17.1 के खण्ड (vi) के अधीन कवर की गई इकाई जीएनए के त्याग के मामले में विनियम 24 के अनुसार अधिशासित होगी।”

23. नया विनियम 26.4, विनियम 26.5 और विनियम 26.6

23.1 एक नया विनियम 26.4 निम्नानुसार मूल विनियम के विनियम 26.3 के बाद जोड़ा जाएगा:

“26.4 इन विनियमों के विनियम 26.1 के खण्ड (क) के अधीन कवर की गई इकाईयां टी-जीएनए^{आरई} के लिए आवेदन कर सकती हैं:

परन्तु यह कि टी-जीएनए^{आरई} इस विनियम के अधीन और शेयरिंग विनियमों के विनियम 13 के खण्ड (2) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजनों को छोड़कर टी-जीएनए के रूप में उसी निबंधन व शर्तों के अध्याधीन होगा:

परन्तु यह भी कि यदि इस खण्ड के अधीन कवर की गई इकाई शेयरिंग विनियमों के विनियम 13 के खण्ड (2) में विनिर्दिष्ट स्रोतों से भिन्न स्रोतों से विद्युत के आहरण के लिए अभीष्ट है, तो यह निम्नानुसार हो सकता है:

- (क) शेयरिंग विनियमों के अनुसार पारेषण विचलन दर @ पारेषण प्रभारों के भुगतान सहित टी-जीएनए^{आरई} के अधीन अनुसूचित इस प्रकार की विद्युत प्राप्त कर सकता है; या
- (ख) नोडल एजेंसी को आवेदन करते हुए पूर्ण टी-जीएनए^{आरई} को टी-जीएनए में संपरिवर्तित कर सकता है।

26.5 इन विनियमों के विनियम 26.4 के अधीन कवर की गई इकाईयां, जी-जीएनए^{आरई} या टी-जीएनए^{आरई} के लिए आवेदन कर सकता है, यदि उनकी आहरण अपेक्षा टी-जीएनए^{आरई} की मात्रा से अधिक है। टी-जीएनए^{आरई} वाली इकाई जी-जीएनए या टी-जीएनए प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगी, तथापि इसे विनियम 26.4 के उपबंधों के अनुसार इसकी टी-जीएनए^{आरई} को टी-जीएनए में संपरिवर्तित किया जा सकता है।

26.6 एक इकाई जो एक टी-जीएनए अनुदानग्राही है वो जीएनए^{आरई} या टी-जीएनए^{आरई} प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा। इस प्रकार की इकाई अतिरिक्त आहरण अपेक्षा के लिए अतिरिक्त जीएनए या टी-जीएनए की मांग कर सकती है।

24. मूल विनियम के विनियम 34.2 का संशोधन:

24.1 स्पष्टीकरण निम्नानुसार मूल विनियम के विनियम 34.2 के प्रथम परन्तुक के बाद जोड़ा जाएगा:

“स्पष्टीकरण: यह अवधारित करने के उद्देश्य से कि आहरण अनुसूची जीएनए मात्रा या टी-जीएनए मात्रा या सामूहिक संव्यवहार के मामले में दोनों से अधिक थी, एसएलडीसी जीएनए या टी-जीएनए, यथास्थिति, के अधीन अनुसूची की प्रत्येक अंतःराज्यिक इकाईवार ब्योरे एनएलडीसी को प्रस्तुत करेगा। एनएलडीसी प्रतिदेय टी-जीएनए प्रभारों के पावर एक्सचेंजवार और इकाईवार पृथक्करण जारी करेगा।”

25. मूल विनियम के विनियम 34.3 का संशोधन:

25.1 शब्द “और पारेषण हानियां” मूल विनियम के विनियम 34.3 के अधीन शब्द “पारेषण प्रभारों” के बाद जोड़ा जाएगा:

26. मूल विनियम के विनियम 34.4 का संशोधन:

26.1 विनियम 34.4 के खण्ड (ग) के अधीन परन्तुक का विलोप किया जाएगा।

26.2 नया खण्ड (ग-i) को निम्नानुसार विनियम 34.4 के खण्ड (ग) के बाद जोड़ा जाएगा:

“(ग-i) अंतःराज्यिक पारेषण प्रणाली के प्रयोग के लिए पावर एक्सचेंजों के माध्यम से किए गए द्विपक्षीय और सामूहिक संव्यवहारों के संबंध में टी-जीएनए के लिए पारेषण प्रभारों को संबंधित राज्य भार प्रेषण केन्द्र के साथ पावर एक्सचेंज द्वारा प्रत्यक्ष रूप से व्यवस्थित किया जाएगा।”

27. मूल विनियम के विनियम 37.3 का संशोधन:

27.1 एक परन्तुक निम्नानुसार मूल विनियम के विनियम 37.3 के खण्ड (2) के उपखण्ड (घ) के अधीन जोड़ा जाएगा:

“परन्तु कि इन विनियमों के विनियम 17.1 के उपखण्ड (i), (ii) और (v) के अधीन कवर की गई इकाई के लिए, संयो-बीजी1 और संयो-बीजी3 जीएनए की प्रभावी तारीख के एक माह के अंदर वापस किया जाएगा और विनियम 17.1 (iii) के अधीन कवर की गई इकाई के लिए, संयो-बीजी1 और संयो-बीजी3 इन विनियमों के विनियम 16.5 के अनुसार माना जाएगा।”

27.2 एक परन्तुक निम्नानुसार मूल विनियम के विनियम 37.3 के खण्ड (3) के उपखण्ड (घ) के अधीन जोड़ा जाएगा:

“परन्तु कि इन विनियमों के विनियम 17.1 के उपखण्ड (i), (ii) और (v) के अधीन कवर की गई इकाई के लिए, संयो-बीजी1 और संयो-बीजी2 और संयो-बीजी3 जीएनए की प्रभावी तारीख के एक माह के अंदर वापस किया जाएगा और विनियम 17.1 (iii) के अधीन कवर की गई इकाई के लिए, संयो-बीजी1 और संयो-बीजी2 और संयो-बीजी3 इन विनियमों के विनियम 16.5 के अनुसार माना जाएगा।”

27.3 एक नया खण्ड (4) निम्नानुसार मूल विनियम के विनियम 37.3 के खण्ड (3) के बाद जोड़ा जाएगा:

“(4) इस विनियम के खण्ड (2) और (3) अंतःराज्यिक अंतःक्षेपण इकाईयों के लिए संपूर्णतः लागू होगा जिन्होंने अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली में दीर्घकालिक पहुंच प्राप्त की है।”

28. मूल विनियम के विनियम 37.5 का संशोधन:

शब्द "या मध्यकालिक निर्बाध पहुंच" मूल विनियम के विनियम 37.5 में शब्द "दीर्घकालिक पहुंच" के बाद जोड़ा जाएगा।

29. मूल विनियम के विनियम 37.8 का संशोधन:

29.1 शब्द "एमटीओए की अवधि के लिए (अंतःराज्यिक पारेषण प्रणाली से संबद्ध उत्पादन स्टेशन सहित)" को मूल विनियम के विनियम 37.8 के खण्ड (ख) में शब्द "इन विनियमों के विनियम 4.1" के बाद जोड़ा जाएगा।

29.2 एक नया खण्ड (ग) निम्नानुसार मूल विनियम के विनियम 37.8 के खण्ड (ख) के बाद जोड़ा जाएगा:

"(ग) क्रॉस बॉर्डर विनियमों के अनुसार विद्युत के क्रॉस बार्डर व्यापार से भिन्न व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों को प्रदान की गई मध्यकालिक निर्बाध पहुंच विनियम 17.1 के अधीन संबंधित ग्रिड संबद्ध इकाई (इकाईयों) को प्रदान की गई डीमंड जीएनए के भाग के रूप में मानी जाएगी और इस प्रकार की मध्यकालिक निर्बाध पहुंच की अवधि के लिए विनियम 4.1 (अंतःराज्यिक पारेषण प्रणाली से संबद्ध उत्पादन स्टेशनों सहित) विनियम 4.5 के अधीन इकाइयों के लिए मानी जाएगी।

परन्तु कि इस प्रकार के व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों और संबंधित ग्रिड संबद्ध इकाई (इकाईयों) के बीच परस्पर पारेषण प्रभारों का व्यवस्थापन उनके बीच मौजूदा करारों के अनुसार या पारस्परिक सहमति के अनुसार किया जाएगा।"

30. मूल विनियम के विनियम 39 का संशोधन:

30.1 एक नया परन्तुक निम्नानुसार मूल विनियम के विनियम 39.1 के प्रथम परन्तुक के बाद जोड़ा जाएगा:

"परन्तु कि नोडल एजेंसी इन विनियमों को ध्यान में रखते हुए विस्तृत क्रियाविधि संशोधित करेगी और आयोग को सूचना के लिए प्रस्तुत करेगी:

परन्तु यह कि आयोग संशोधित विस्तृत क्रियाविधि, जहां भी आवश्यक समझा जाए, के संशोधन के लिए निर्देश जारी करें:

परन्तु यह कि नोडल एजेंसी इन विनियमों को ध्यान में रखते संशोधित फॉर्मट जारी करेगी।"

30.2 एक नया परन्तुक निम्नानुसार मूल विनियम के विनियम 39.2 के प्रथम परन्तुक के बाद जोड़ा जाएगा:

"परन्तु कि नोडल एजेंसी स्टेकहोल्डर के परामर्श के बाद संशोधित फॉर्मट और विस्तृत क्रियाविधि जारी करेगी और उसे केन्द्रीय आयोग की सूचना के लिए प्रस्तुत करेगी:

परन्तु यह कि आयोग संशोधित विस्तृत क्रियाविधि जहां भी आवश्यक समझा जाए, के संशोधन के लिए निर्देश जारी करें।"

31. मूल विनियम के विनियम 40.2 का संशोधन:

31.1 एक परन्तुक निम्नानुसार मूल विनियम के विनियम 40.2 में जोड़ा जाएगा:

"परन्तु कि एक बारगी जीएनए प्रभार क्षमता के लिए प्रतिदेय नहीं होगा जिसे इन विनियमों के प्रभाव में आने की तारीख को वाणिज्यिक प्रचालन घोषित किया गया है।"

32. मूल विनियम के अनुबंध-I में सारणी का संशोधन:

32.1 मूल विनियम के अनुबंध-I में सारणी के अधीन पश्चिम बंगाल के संबंध में पंक्ति निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाएगी:

पश्चिम बंगाल	2364	4314	3339	2719	5334	4026	2089	4274	3182	3516
--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

32.2 मूल विनियम के अनुबंध-I में सारणी के अधीन अंतिम पंक्ति, अर्थात्, "कुल" का विलोप किया जाएगा।

33. नया अनुबंध-II—प्रादेशिक इकाई उत्पादन स्टेशन से राज्य द्वारा "प्रत्यक्ष आहरण" अवधारित करने के लिए पद्धति:

33.1 एक नया अनुबंध-II निम्नानुसार मूल विनियम के अनुबंध-Iके बाद जोड़ा जाएगा:

अनुबंध-II

प्रादेशिक इकाई उत्पादन स्टेशन से राज्य द्वारा "प्रत्यक्ष आहरण" अवधारित करने के लिए पद्धति

विद्युत के राज्य का शेयर जिसे केवल एसटीयू या एसटीयू और आईएसटीएस दोनों से संबद्ध अंतरराज्यिक उत्पादन स्टेशन से एसटीयू नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से निकास किया गया है, निम्नानुसार अवधारित और संव्यवहारित माना जाएगा:

(क) एसटीयू और आईएसटीएस या इन विनियमों के प्रवृत्त होने की तारीख को केवल एसटीयू प्रणाली से पहले से संबद्ध प्रादेशिक इकाई उत्पादन स्टेशनों के लिए, होस्ट राज्य के लिए जहां इस प्रकार के उत्पादन स्टेशन स्थित है विनियम 18.1 के अधीन विचार किए गए आईएसटीएस निकासी डाटा निम्नलिखित पद्धति पर आधारित राज्य द्वारा प्रत्यक्ष आहरण में घटक में कम किया जाएगा:

- i. संबंधित उत्पादन स्टेशन के आरंभ होने के समय पर इस प्रकार के उत्पादन स्टेशन से विद्युत के राज्य के शेयर की निकासी के लिए नियोजित एवं कार्यान्वित एसटीयू नेटवर्क पर केवलविचार किया जाएगा।
- ii. सीटीयू इन विनियमों के प्रभाव में आने के एक सप्ताह के अंदर एनएलडीसी को इस प्रकार के उत्पादन स्टेशनों की सूची उपलब्ध करवाएगा।
- iii. एनएलडीसी वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए "प्रत्यक्ष आहरण" के रूप में आईएसटीएस आहरण ब्लॉकवार की मात्रा संगणित करेगा:

प्रत्यक्ष आहरण = अभिज्ञात उत्पादन स्टेशन से संबद्ध एसटीयू फीडरों के माध्यम से वास्तविक आईएसटीएस आहरण या तदनुसूची ब्लॉक के लिए इस प्रकार के उत्पादन स्टेशन से राज्य की आहरण अनुसूची, जो भी कम हो।

- iv. ब्लॉकवार "प्रत्यक्ष आहरण" को इस प्रकार के राज्य के लिए ब्लॉकवार वास्तविक आईएसटीएस आहरण डाटा से कम किया जाएगा।
- v. इस विनियम के उपखण्ड (iv) में यथासंगणित संशोधित आईएसटीएस आहरण डाटा के आधार पर, जीएनए_{एसएच} विनियम 18.1 में विनिर्दिष्ट फार्मूले के अनुसार इस प्रकार के राज्य के लिए संगणित किया जाएगा। इस प्रकार के राज्य के लिए जीएनए में कमी जीएनए_अ के रूप में संगणित होगी जो निम्नानुसार होगी:

जीएनए_अ = अनुबंध-I में यथानिर्दिष्ट जीएनए - ["प्रत्यक्ष आहरण" के लिए लेखांकन के बाद संशोधित जीएनए (जीएनए_{एसएच})]

- vi. एनएलडीसी इन विनियमों की अधिसूचना के एक माह के अंदर प्रत्येक इस प्रकार के राज्य के लिए जीएनए_अ की सूची वेबसाइट पर अधिसूचित करेगा।
 - vii. शेयरिंग विनियमों के अधीन पारेषण प्रभारों की शेयरिंग के प्रयोजन के लिए, राज्य के लिए जीएनए पर इन विनियमों के अनुबंध-I के अनुसार जीएनए से जीएनए_अ को कम करने के बाद विचार किया जाएगा।
 - viii. होस्ट राज्य को आरएलडीसी द्वारा इस प्रकार के अभिज्ञात उत्पादन स्टेशन से विद्युत की शेड्यूलिंग सहित सभी अन्य प्रयोजनों के लिए, इन विनियमों के अनुबंध-I के अनुसार जीएनए मात्रा पर विचार किया जाएगा।
 - ix. शेयरिंग विनियमों के अधीन प्रादेशिक पारेषण विचलन लेखा की संगणना करते समय, इस प्रकार के होस्ट राज्य के लिए वास्तविक आईएसटीएस आहरण डाटा इस विनियम के उपखण्ड (iii) में फार्मूले के अनुसार प्रत्येक समय ब्लॉक के लिए "प्रत्यक्ष आहरण" की मात्रा से कम किया जाएगा।
- (ख) प्रादेशिक इकाई उत्पादन स्टेशनों के लिए जिन्हें इन विनियमों के प्रवृत्त होने के तारीख को एसटीयू और आईएसटीएस या केवल एसटीयू प्रणाली से संबद्ध किया जाना है।

- i. ऐसे उत्पादन स्टेशन से राज्य के विद्युत के शेयर की निकासी के लिए एसटीयू नेटवर्क का नियोजन किया गया है और कार्यान्वयन किया जा रहा है और राज्य के ऐसे शेयर की निकासी के लिए आईएसटीएस नियोजित नहीं किए गए और निर्मित नहीं किए गए पर केवल विचार किया जाएगा;

- ii. होस्ट राज्य एसटीयू नेटवर्क इस प्रकार के उत्पादन स्टेशन से विद्युत के राज्य के शेयर की निकासी के लिए पारेषण योजना मानदण्ड के अनुसार सभी अपेक्षाओं की पूर्ति करेगा।
- iii. सीटीयू इस प्रकार के उत्पादन स्टेशन का पता लगाएगा और एनएलडीसी को सूचित करेगा।
- iv. एनएलडीसी संबंधित समय ब्लॉकों के लिए ब्लॉकवार आईएसटीएस आहरण डाटा से "प्रत्यक्ष आहरण" के रूप में आईएसटीएस आहरण की मात्रा को संगणित करेगा:

प्रत्यक्ष आहरण = अभिज्ञात उत्पादन स्टेशन से संबद्ध एसटीयू फीडरों के माध्यम से वास्तविक आईएसटीएस आहरण या तदनुसूची ब्लॉक के लिए इस प्रकार के उत्पादन स्टेशन से राज्य की आहरण अनुसूची, जो भी कम हो।।

ब्लॉकवार "प्रत्यक्ष आहरण" की मात्रा शेयरिंग विनियमों के अधीन प्रादेशिक पारेषण विचलन लेखों के प्रयोजन के लिए इस प्रकार के राज्य के लिए वास्तविक आईएसटीएस आहरण डाटा से कम किया जाएगा।

- v. शेयरिंग विनियमों के अधीन प्रादेशिक पारेषण विचलन लेखा की संगणना करते समय, इस प्रकार के होस्ट राज्य के लिए वास्तविक आईएसटीएस आहरण डाटा इस विनियम के उपखण्ड (iv) में फार्मूले के अनुसार प्रत्येक समय ब्लॉक के लिए "प्रत्यक्ष आहरण" की मात्रा से कम किया जाएगा।
- vi. होस्ट राज्य के लिए आरएलडीसी द्वारा इस प्रकार के अभिज्ञात उत्पादन स्टेशन से विद्युत के शेड्यूलिंग सहित सभी अन्य प्रयोजनों के लिए, एसटीयू प्रणाली सहित संयोजकता के समान जीएनए मात्रा पर विचार किया जाएगा जिस पर शेयरिंग विनियमों के अधीन बिलिंग के लिए विचार नहीं किया जाएगा।"

हरप्रीत सिंह पृथी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./010/2023-24]

नोट: केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली में संयोजकता और सामान्य नेटवर्क पहुंच) विनियम, 2022 में भारत के राजपत्र (असाधारण) संख्या 520 भाग III, खण्ड 4 में तारीख 14.10.2022 को प्रकाशित किया गया।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2023

No. L-1/261/2021/CERC.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 178 and clause (ze) of sub-section (2) of Section 178 read with clause (47) of Section 2, clause (d) of sub-section (2) of Section 38, clause (c) of Section 40 and clause (c) of sub-section (1) of Section 79 of the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling it in this behalf and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Connectivity and General Network Access to the inter-State Transmission System) Regulations, 2022 (hereinafter referred to as "the Principal Regulations") namely:

1. Short Title and Commencement

- 1.1. These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Connectivity and General Network Access to the inter-State Transmission System) (First Amendment) Regulations, 2023.
- 1.2. These regulations shall come into force on such date as the Central Commission may notify.

2. Amendment to Regulation 2.1 of the Principal Regulations:

- 2.1. A new clause, namely, clause (r-i) shall be added after clause (r) of Regulation 2.1 of the Principal Regulations as under:
- “(r-i) “General Network Access-renewable energy” or GNA_{RE} means the open access to the ISTS granted under these regulations for drawal of power exclusively from the renewable sources covered under clause (2) of the Regulation 13 of the Sharing Regulations;”
- 2.2. A new clause, namely, clause (t-i) shall be added after clause (t) of Regulation 2.1 of the Principal Regulations as under:

“(t-i) “Host State” means the State in which an entity is geographically located;”

- 2.3. A new clause, namely, clause (an-i) shall be added after clause (an) of Regulation 2.1 of the Principal Regulations as under:

“(an-i) “Temporary General Network Access-renewable energy” or T-GNA_{RE} means the T-GNA open access to the ISTS granted under these regulations for drawal of power exclusively from the renewable sources covered under clause (2) of the Regulation 13 of the Sharing Regulations;”

3. Amendment to Regulation 5.2 of the Principal Regulations:

- 3.1. Regulation 5.2 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“5.2 Notwithstanding anything contained in Regulation 5.1, a generating station or ESS, with prior approval of CTU, shall be eligible to add, within the quantum of Connectivity granted to it, additional generation capacity or ESS, including the capacity owned by any other entity:

Provided that the generating station or the ESS being the existing Connectivity Grantee shall be responsible for compliance with the Grid Code and other regulations of the Central Commission for such additional generation capacity including ESS as ‘Lead generator’ or ‘Lead ESS’ in terms of clause (y)(ii) or clause (x)(ii) of Regulation 2.1, as the case may be:

Provided further that net injection at any point of time shall not exceed the quantum of total Connectivity granted to the existing Connectivity grantee.”

4. Amendment to Regulation 5.8 of the Principal Regulations:

- 4.1. Clause (vii) of Regulation 5.8 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“(vii) In case of Renewable Power Park Developer, the documents shall be submitted in combination of clauses (a) and (b) or combination of clauses (a) and (c) as specified hereunder:

(a) Authorisation by the Central Government or the State Government, as applicable, to undertake infrastructural activities including arrangement for Connectivity on behalf of solar power generators or wind power generators;

(b) Registered Title Deed as a proof of Ownership or lease rights or land use rights for 50% of the land required for the capacity for which Connectivity is sought;

(c) Bank Guarantee of Rs. 10 lakh/ MW in lieu of ownership or lease rights or land use rights of land for 50% of the land required for the capacity for which Connectivity is sought subject to provisions of Regulations 11A and 11B of these regulations.”

- 4.2. New clause namely, clause (xi) shall be added after clause (x) of Regulation 5.8 of the Principal Regulations as under:

“(xi) In case of Applicants which are REGS (other than Hydro generating station) or ESS (excluding Pumped Storage Plant (PSP)) the following documents shall be submitted :

- (a) Letter of Award (LOA) by, or Power Purchase Agreement (PPA) entered into with, a Renewable Energy Implementing Agency or a distribution licensee or an authorized agency on behalf of distribution licensee consequent to tariff based competitive bidding, as the case may be:

Provided that in case of Applicants being multi-located REGS, the details of locations and capacity at each location, duly certified by the Renewable Energy Implementing Agency or the distribution licensee, as the case may be, shall be submitted.

Or

- (b) Registered Title Deed as a proof of Ownership or lease rights or land use rights for 50% of the land required for the capacity for which Connectivity is sought;

Or

- (c) Bank Guarantee of Rs. 10 lakh/ MW in lieu of ownership or lease rights or land use rights of land for 50% of the land required for the capacity for which Connectivity is sought subject to provisions of Regulations 11A and 11B of these regulations.”

5. Amendment to Regulation 7.1 and 7.2 of the Principal Regulations:

- 5.1. The words “ATS” shall be substituted with the word “augmentation” in Regulation 7.1 of the Principal Regulations.

- 5.2. The words “ATS” shall be substituted with the word “augmentation (with ATS or without ATS)” in Regulation 7.2 of the Principal Regulations.

6. Amendment to Regulation 8.2 of the Principal Regulations:

- 6.1. The first para of the Regulation 8.2 of the Principal Regulations shall be substituted as under:
 “8.2 For cases covered under (i) Regulation 7.1 of these regulations and (ii) Regulation 7.2 (Augmentation without ATS) of these regulations, Conn-BG2 and Conn-BG3, shall be furnished as under:”
- 6.2. The words “and augmentation without ATS, if any,” shall be added after the words “existing ISTS” under clause (b) of the Regulation 8.2 of the Principal Regulations.

7. Amendment to Regulation 8.3 of the Principal Regulations:

The words “where augmentation with ATS is required,” shall be added after the words “these regulations,” to the first para of the Regulation 8.3 of the Principal Regulations.

8. New Regulation 11A: Conditions subsequent to be satisfied by the Connectivity Grantee

- 8.1. A new Regulation, namely, Regulation 11A shall be added after Regulation 11 of the Principal Regulations as under:

“11A. Conditions subsequent to be satisfied by the Connectivity Grantee

- (1) An applicant which is REGS (other than Hydro generating station) or ESS (excluding PSP) covered under clause (xi)(c) of Regulation 5.8 or Renewable power park developer covered under clause (vii)(c) of Regulation 5.8 of these regulations shall submit documents for land in terms of clause (xi)(b) or clause (vii)(b) of Regulation 5.8, as the case may be, within 180 days of issuance of final grant of Connectivity. The Bank Guarantee shall be returned within 7 days of submission of stipulated documents as a proof of Ownership or lease rights or land use rights.

- (2) An applicant which is REGS (other than Hydro generating station), ESS

(excluding PSP) or Renewable power park developer to which final grant of connectivity has been issued, shall submit Auditor’s certificate, certifying the release of at least 10% of the project cost including the land acquisition cost through equity within a period of 12 months from the date of issuance of final grant of connectivity.

- (3) An applicant which is REGS (other than Hydro generating station), ESS (excluding PSP) or Renewable power park developer to which final grant of connectivity has been issued, shall have to achieve the financial closure for the capacity of such Connectivity, (a) within a period of 12 months from the date of issuance of final grant of connectivity, if the start date of Connectivity is within 2 years from date of issuance of final grant of connectivity or (b) a period equivalent to 50% time period between issue of final grant of Connectivity and start date of Connectivity, if the start date of Connectivity is more than 2 years from date of issuance of final grant of connectivity:

Provided that such an applicant shall submit proof of Financial Closure of the project (with copy of loan sanction letter or proof of first disbursement of loan amount) or copy of board resolution (if internal funding is planned for 100% of the project cost) to CTU within 15 days of achieving the financial closure.

- (4) In case of Applicants which have been granted Connectivity under clauses (xi)(b) or (xi)(c) of the Regulation 5.8 but are subsequently covered under clause (xi)(a) of the Regulation 5.8, the requirement of furnishing the documents in accordance with Clauses (1) to (3) shall be the same as applicable to the entities covered under clause (xi)(a) of Regulation 5.8.

11B. Consequences of non-fulfillment of conditions under Regulation 11A

- (1) If the Connectivity grantee covered under clause (xi)(c) of Regulation 5.8 or Renewable power park developer covered under clause (vii)(c) of Regulation 5.8 of these regulations, fails to submit the documents in accordance with Clause (1) of Regulation 11A of these regulations, its Connectivity shall be revoked, Bank Guarantee of Rs 10 lakh/MW submitted in lieu of land shall be encashed and Conn-BG1, Conn-BG2 and Conn-BG3 shall be treated in terms of Regulation 24.2 or Regulation 24.3 of these regulations, as applicable.
- (2) If the Connectivity grantee fails to submit the documents in accordance with Clause (2) Regulation 11A of these regulations or fails to achieve the financial closure within the stipulated time or fails to submit the copy of financial closure within the stipulated time as per Clause (3) of

Regulation 11A of these regulations, Connectivity shall be revoked and Conn-BG1, Conn-BG2 and Conn-BG3 shall be treated in terms of Regulation 24.2 or Regulation 24.3 of these regulations, as applicable.”

9. Amendment to Regulation 15.1 of the Principal Regulations:

- 9.1. The symbol ‘full stop’ at the end of Regulation 15.1 and the proviso thereof of the Principal Regulations shall be substituted with the symbol ‘colon’.
- 9.2. A new proviso shall be added after the first proviso to the Regulation 15.1 of the Principal Regulations as under:
- “Provided further that where a bulk consumer has been granted GNA under Regulation 17.1(iii), GNA granted to such Bulk consumer may be utilized in part or full by its subsidiaries or vice versa, if such bulk consumer and its subsidiaries are connected at the same connection point of ISTS.”

10. Amendment to Regulation 16.2 of the Principal Regulations:

- 10.1. A proviso shall be added to Regulation 16.2 of the Principal Regulations as under:
- “Provided that in case of declaration of commercial operation of part capacity by the Connectivity grantee in a financial year, total quantum of such capacity declared under commercial operation within a financial year shall be considered while returning the Conn-BG2 and Conn-BG3 at the end of the financial year.”

11. New Regulation 16.5 of the Principal Regulations:

- 11.1. New Regulation 16.5 shall be added after Regulation 16.4 of the Principal Regulations as under:
- “16.5 For an entity covered under Clause (iii) of Regulation 17.1 of these Regulations, Conn-BG1 shall be returned within one month of commencement of drawal of power. Conn-BG3 and Conn-BG2, as available, shall be returned in five equal parts over five years after commencement of drawal of power at the end of financial year or within one month of expiry of period of GNA, whichever is earlier.”

12. Amendment to Regulation 17.1 of the Principal Regulations:

- 12.1. A new clause, namely, (vi) shall be added after the clause (v) to the Regulation 17.1 of the Principal Regulations as under:
- “(vi) An injecting entity which is granted Connectivity to intra-State transmission system and seeking GNA for purpose of injection into ISTS.”

13. Amendment to Regulation 18.1 of the Principal Regulations:

- 13.1. A proviso shall be added to the clause (f) of the Regulation 18.1 of the Principal Regulations as under:
- “Provided that generating stations connected to the intra-State transmission system where Long Term Access granted to such entity or to its identified buyer, under the Connectivity Regulations, 2009 has become effective, shall be deemed to have been granted GNA equal to the quantum of such Long term Access, under these regulations.”

14. New Regulation 18.3:

- 14.1. A new Regulation, namely, Regulation 18.3 shall be added after Regulation 18.2 of the Principal Regulations as under:
- “18.3 For a host State in which a generating station which is a regional entity is located, and is connected only to STU system or connected to both STU system and ISTS, the GNA quantum at Annexure-I shall be reduced by the GNA quantum calculated based on the methodology specified in Annexure-II to these Regulations.”

15. Amendment to Regulation 20.3 of the Principal Regulations:

- 15.1. The words “and (vi),” shall be added after the words “under clause (v)” in the Regulation 20.3 of the Principal Regulations.

16. New Regulation 20.4, Regulation 20.5 and Regulation 20.6

- 16.1. New Regulations 20.4, 20.5 and 20.6 shall be added after Regulation 20.3 of the Principal Regulations as under:

“20.4 Entities covered under clauses (ii) and (iii) of Regulation 17.1 of these regulations may apply for GNA_{RE} indicating bifurcation of GNA_{RE} within the region and from outside the region, from a specified date, for a specified quantum, and for a specified period of more than eleven months:

Provided that the entities covered under clause (ii) of Regulation 17.1 of these regulations shall furnish consent of the concerned STU in terms of availability of transmission capacity in intra-State transmission system for such quantum and period of GNA_{RE}:

Provided further that GNA_{RE} shall be subject to same terms and conditions as GNA except for the purposes specified under this Regulation and clause

(2) of the Regulation 13 of the Sharing Regulations:

Provided also that if the entity covered under this Clause intends to draw power from the sources other than the sources specified in clause (2) of the Regulation 13 of the Sharing Regulations, it may:

- (a) get such power scheduled under GNA_{RE} with payment of transmission charges @ Transmission deviation rate in accordance with the Sharing Regulations; or
- (b) convert full GNA_{RE} into GNA by making an application to the Nodal Agency.

20.5 The entities covered under Regulation 20.4 of these regulations may apply for additional GNA_{RE} or T-GNA_{RE}, in case their drawal requirement is more than quantum of GNA_{RE}. An entity having GNA_{RE} shall not be eligible to obtain GNA or T-GNA. However, it may convert its GNA_{RE} into GNA as per provisions of Regulation 20.4.

20.6 An entity which is a GNA grantee shall not be eligible to obtain GNA_{RE} or T-GNA_{RE}. Such an entity may seek additional GNA or T-GNA for additional drawal requirement.”

17. Amendment to Regulation 22.2 of the Principal Regulations:

17.1. Two new clauses, namely, (b-i) and (b-ii) shall be added after clause (b) to the Regulation 22.2 of the Principal Regulations as under:

“(b-i) Entities covered under clause (iii) of Regulation 17.1 shall furnish ConnBG1 for Rs 50 lakhs per application and Conn-BG3 for Rs 2 lakh/MW.

(b-ii) Entities covered under clause (vi) of Regulation 17.1 and applying GNA for injection into the ISTS shall comply with all requirements as applicable to entities under Regulation 4.1. For such entities Conn-BG1, Conn-BG2 and Conn-BG3 shall be returned in accordance with Regulation 16 of these regulations or on expiry of period of GNA, whichever is earlier.”

17.2. The special character “ . ” shall be substituted with the special character “ : ” at the end of the first para and first proviso to the clause (d) of the Regulation 22.2 of the Principal Regulations.

18. Amendment to Regulation 23.1 of the Principal Regulations:

18.1. The words “clauses (i) to (v) of” shall be added before the words “Regulation 17.1”, wherever it occurs in first para of the Regulation 23.1 of the Principal Regulations.

18.2. The number and words “1 (one) year” shall be substituted with the number and words “3 (three) years”, in the first para of the Regulation 23.1 of the Principal Regulations.

19. Amendment to Regulation 24.2 of the Principal Regulations:

19.1. The words “and Regulation 7.2 (Augmentation without ATS) shall be added after the words “Regulation 7.1” in the first para of the Regulation 24.2 of the Principal Regulations.

20. Amendment to Regulation 24.3 of the Principal Regulations:

20.1. The words “where augmentation with ATS is required” shall be added after the words “Regulation 7.2” in the first para of the Regulation 24.3 of the Principal Regulations.

21. New Regulation 24.6 – Revocation of Connectivity:

21.1. A new Regulation, namely, Regulation 24.6 shall be added after Regulation 24.5 of the Principal Regulations as under:

“**24.6 Revocation of Connectivity**

- (1)
- (a) Connectivity shall be revoked for the corresponding capacity, if the Connectivity and corresponding GNA has been made effective in terms of Clause (a) of Regulation 22.4 of these regulations and the Connectivity grantee fails to achieve COD either in full or in parts on or before,
- (i) the scheduled date of commercial operation of the generation project, for cases covered under clause (xi)(a) of the Regulation 5.8, as intimated at the time of making application for grant of Connectivity or as extended or delayed commissioning permitted by the Renewable Energy Implementing Agency or the distribution licensee or the authorized agency on behalf of distribution licensee, as the case may be.
- (ii) six months after the scheduled date of commercial operation as intimated at time of making application for grant of Connectivity, for cases covered under clause (xi)(b) or (xi)(c) of the Regulation 5.8.
- (b) In case of Applicants which have been granted Connectivity under clause (xi)(b) or (xi)(c) of the Regulation 5.8 but are subsequently covered under clause (xi)(a) of the Regulation 5.8, the last date for declaration of COD shall be the SCOD of the project or as extended or delayed commissioning permitted by the Renewable Energy Implementing Agency or the distribution licensee or the authorized agency on behalf of distribution licensee, as the case may be.
- (c) Connectivity granted to an REGS (other than Hydro generating station) or ESS (excluding PSP) shall be revoked, if LOA or PPA on basis of which Connectivity was granted, is terminated prior to the COD of the project.
- (d) Connectivity granted to a Renewable Power Park developer shall be revoked for the corresponding capacity, if the generating station(s) within the Power park fails to achieve COD on or before,
- (i) scheduled date of commercial operation of the generation project as per LOA or PPA as extended or delayed commissioning permitted by the Renewable Energy Implementing Agency or the distribution licensee or the authorized agency on behalf of distribution licensee, as the case may be.
- (ii) six months after the scheduled date of commercial operation for generating station(s) being set up without LOA or PPA.
- (2) In case of revocation of Connectivity under subclauses (a) to (d) of Clause (1) of this regulation, Conn-BG-1, Conn-BG2 and Conn-BG3 shall be dealt with in terms of regulation 24.2 or regulation 24.3 of these regulations, as applicable.”

22. Amendment to Regulation 25.1 of the Principal Regulations:

- 22.1. Regulation 25.1 (except clauses(a) to (d)) of the Principal Regulations shall be substituted as follows:
- “25.1 For an entity covered under Clauses (i) to (v) of Regulation 17.1, GNA once granted can be relinquished, in full or in parts, with a notice of one year to the Nodal Agency, along with a fee of fifty lac rupees (which shall be adjusted from the relinquishment charges) as per following:”
- 22.2. The number “24” shall be substituted with number “18” in clauses (a) and (b) of Regulation 25.1 of the Principal Regulations.
- 22.3. The word “paid” shall be substituted with word “payable” wherever it occurs in clauses (a) and (b) of Regulation 25.1 of the Principal Regulations.
- 22.4. The words “(iv)” shall be substituted with words “(v)” in Clause (b) of Regulation 25.1 of the Principal Regulations.
- 22.5. Second Proviso shall be added after first proviso in Clause (b) of Regulation 25.1 of the Principal Regulations as under:
- “Provided further that for the entity covered under clause (iii) of Regulation 17.1 of these regulations, if GNA is relinquished prior to date of effectiveness of GNA, Conn-BG1 and Conn-BG3 shall be encashed corresponding to the relinquished quantum as relinquishment charges.”
- 22.6. New clause, namely, clause (e) shall be added after clause (d) to the Regulation 25.1 of the Principal Regulations as under:

“(e) Relinquishment charges shall be paid one month prior to effective date of relinquishment failing which relinquishment shall not be effective.”

22.7. New Regulation 25.3 shall be added after Regulation 25.2 of the Principal Regulations as under:

“25.3 Entity covered under clause (vi) of Regulation 17.1 shall be governed in terms of Regulation 24 in case of relinquishment of GNA.”

23. New Regulation 26.4, Regulation 26.5 and Regulation 26.6

23.1. A new Regulation 26.4 shall be added after Regulation 26.3 of the Principal Regulations as under:

“26.4 Entities covered under clause (a) of Regulation 26.1 of these regulations may apply for T-GNA_{RE}:

Provided that T-GNA_{RE} shall be subject to same terms and conditions as TGNA except for the purposes specified under this Regulation and clause (2) of the Regulation 13 of the Sharing Regulations:

Provided further that if the entity covered under this Clause intends to draw power from the sources other than the sources specified in clause (2) of the Regulation 13 of the Sharing Regulations, it may:

- (a) get such power scheduled under T-GNA_{RE} with payment of transmission charges @ Transmission deviation rate in accordance with Sharing Regulations; or
- (b) it may convert full T-GNA_{RE} into T-GNA by making an application to the Nodal Agency.

26.5 The entities covered under Regulation 26.4 of these regulations may apply for additional GNA_{RE} or T-GNA_{RE}, in case their drawal requirement is more than quantum of T-GNA_{RE}. An entity having T-GNA_{RE} shall not be eligible to obtain GNA or T-GNA, however it may convert its T-GNA_{RE} into TGNA as per provisions of Regulation 26.4.

26.6 An entity which is a T-GNA grantee shall not be eligible to obtain GNA_{RE} or T-GNA_{RE}. Such an entity may seek additional GNA or T-GNA for additional drawal requirement.”

24. Amendment to Regulation 34.2 of the Principal Regulations:

24.1. An Explanation shall be added after the first proviso to the Regulation 34.2 of the Principal Regulations as under:

“Explanation: In order to determine whether drawal schedule was more than GNA quantum or T-GNA quantum or both in case of collective transaction, SLDC shall furnish to NLDC, each intra-state entity-wise detail of schedule under GNA or T-GNA, as the case may be. NLDC shall issue power exchange wise and entity-wise segregation of payable T-GNA charges.”

25. Amendment to Regulation 34.3 of the Principal Regulations:

25.1. The words “and transmission losses” shall be added after the words “transmission charges” under the Regulation 34.3 of the Principal Regulations.

26. Amendment to Regulation 34.4 of the Principal Regulations:

26.1. Proviso under clause (c) of the Regulation 34.4 shall be deleted.

26.2. New clause (c-i) shall be added after clause (c) of the Regulation 34.4 as under:

“(c-i) Transmission charges for T-GNA, in respect of bilateral and collective transactions undertaken through power exchanges, for use of intra-State transmission system shall be settled directly by the power exchange with respective State Load Despatch Centre.”

27. Amendment to Regulation 37.3 of the Principal Regulations:

27.1. A Proviso shall be added under subclause (d) to Clause (2) of the Regulation

37.3 of the Principal Regulations as under:

“Provided that for an entity covered under subclauses (i), (ii) and (v) of Regulation 17.1 of these Regulations, Conn-BG1 and Conn-BG3 shall be returned within one month of date of effectiveness of GNA and for an entity covered under Regulation 17.1(iii), Conn-BG1 and Conn-BG3 shall be treated in terms of Regulations 16.5 of these regulations.”

27.2. A Proviso shall be added under subclause (d) to Clause (3) of the Regulation 37.3 of the Principal Regulations as under:

“Provided that for an entity covered under subclauses (i), (ii) and (v) of Regulation 17.1 of these Regulations, Conn-BG1, Conn-BG2 and ConnBG3 shall be returned within one month of date of effectiveness of GNA and for an entity covered under Regulation 17.1(iii), Conn-BG1, Conn-BG2 and Conn-BG3 shall be treated in terms of Regulations 16.5 of these regulations.”

- 27.3. A new clause (4) shall be added after clause (3) of the Regulation 37.3 of the Principal Regulations as under:

“(4) Clauses (2) and (3) of this Regulation shall be applicable in toto for intrastate injecting entities who have obtained Long term access to inter-State transmission system.”

28. Amendment to Regulation 37.5 of the Principal Regulations:

The words “or Medium Term open Access” shall be added after words “Long Term Access” in Regulation 37.5 of the Principal regulations.

29. Amendment to Regulation 37.8 of the Principal Regulations:

- 29.1. The words “(including generating stations connected to intra-State transmission system), for the period of MTOA” shall be added after words “Regulation 4.1 of these regulations” in clause (b) of the Regulation 37.8 of the Principal Regulations.

- 29.2. A new Clause (c) shall be added after Clause (b) of the Regulation 37.8 of the Principal Regulations as under:

“(c) Medium Term Open Access granted to a Trading licensee, other than for cross border trade of electricity in terms of the Cross Border Regulations, shall be considered as part of GNA deemed to have been granted to the concerned grid connected entity(ies) under Regulation 17.1 and for entities under Regulation 4.1 (including generating stations connected to intra-State transmission system) for the period of such Medium Term Open Access.

Provided that settlement of transmission charges inter-se between such trading licensee and the concerned grid connected entity(ies) shall be made in terms of the existing agreement between them or as may be mutually agreed.”

30. Amendment to Regulation 39 of the Principal Regulations:

- 30.1. A new proviso shall be added after the first proviso to the Regulation 39.1 of the Principal Regulations as under:

“

Provided that the Nodal Agency shall revise the Detailed Procedure in the light of these regulations and submit for the information of the Commission:

Provided further that the Commission may issue directions for modification of the revised detailed Procedure, wherever considered necessary:

Provided also that the Nodal Agency shall issue revised formats in the light of these regulations.”

- 30.2. A new proviso shall be added after the first proviso to the Regulation 39.2 of the Principal Regulations as under:

“Provided that Nodal Agency shall issue revised formats and Detailed Procedure after stakeholders’ consultation and submit the same for information of the Central Commission:

Provided further that the Commission may issue directions for modification of the revised detailed Procedure, wherever considered necessary.”

31. Amendment to Regulation 40.2 of the Principal Regulations:

- 31.1. A proviso shall be added to the Regulation 40.2 of the Principal Regulations as under:

“Provided that one-time GNA charges shall not be payable for the capacity which has been declared commercial operation as on date of coming into effect of these Regulations.”

32. Amendment to Table at Annexure-I of the Principal Regulations:

- 32.1. The row in respect of West Bengal under the Table at Annexure-I of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“

West Bengal	2364	4314	3339	2719	5334	4026	2089	4274	3182	3516
-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

”

32.2. The last row, namely, “Total” under the Table at Annexure-I of the Principal Regulations shall be deleted.

33. New Annexure-II - Methodology to determine ‘Direct drawal’ by a State from a regional entity generating station:

33.1. A new Annexure-II shall be added after the Annexure-I to the Principal Regulations as under:

“

Annexure-II

Methodology to determine ‘Direct drawal’ by a State from a regional entity generating station

State’s share of power which is evacuated directly through the STU Network from an inter-State generating station connected only to STU or to both STU and ISTS, shall be determined and treated as follows:

(a) For regional entity generating stations already connected to STU and ISTS or only STU system as on the date of coming into force of these regulations, ISTS drawal data as considered under Regulation 18.1 for host State where such generating station is located shall be reduced to factor in the direct drawal by State, based on the following methodology:

(i) The STU network planned and implemented to evacuate State’s share of power from such generating station at the time of commissioning of the concerned generating station shall only be considered.

(ii) CTU shall provide a list of such generating stations to NLDC within a week of coming into effect of these Regulations.

(iii) NLDC shall calculate the quantum of ISTS drawal blockwise as “Direct drawal” for years 2018-19, 2019-2020 and 2020-2021:

‘Direct drawal’ = Lower of

Actual ISTS drawal through STU feeders connected to identified generating station or drawal schedule of the State from such generating station for corresponding block.

(iv) The blockwise ‘Direct drawal’ shall be reduced from blockwise actual ISTS drawal data for such State.

(v) Based on modified ISTS drawal data as calculated at sub-clause (iv) of this Regulation, GNAd shall be calculated for such State as per formula specified in Regulation 18.1. The reduction in GNA for such State shall be calculated as GNAd which will be as follows:

$GNAd = GNA \text{ as indicated at Annexure-I} - (\text{Modified GNA after accounting for ‘direct drawal’ (GNAd)})$

(vi) NLDC shall notify on its website, a list of GNAd for each such State within 1 month of notification of these Regulations.

(vii) For the purpose of Sharing of transmission charges under Sharing Regulations, GNA for the State shall be considered after reducing GNAd from GNA as per Annexure-I of these Regulations.

(viii) For all other purposes including scheduling of power from such identified generating station by RLDC to the host State, GNA quantum as per Annexure-I of these Regulations shall be considered.

(ix) While calculating Regional transmission deviation account under Sharing Regulations, actual ISTS drawal data for such host State shall be reduced by quantum of ‘Direct drawal’ for each time-block as per formula at subclause (iii) of this Regulation.

(b) For regional entity generating stations which are yet to be connected to STU and ISTS or only STU system as on coming into force of these regulations.

- i. The STU network planned and being implemented to evacuate State's share of power from such generating station and ISTS has not been planned and constructed for evacuation of such share of the state shall only be considered;
- ii. The host State STU network shall meet all the requirements as per the transmission planning criteria to evacuate the State's share of power from such generating station.
- iii. CTU shall identify such generating station and inform NLDC.
- iv. NLDC shall calculate the quantum of ISTS drawal as "Direct drawal" from the blockwise ISTS drawal data for respective time blocks:

'Direct drawal'= Lower of

Actual ISTS drawal through STU feeders connected to identified generating station or drawal schedule of the State from such generating station for corresponding block

The quantum of blockwise 'Direct drawal' shall be reduced from actual ISTS drawal data for such State for purpose of regional transmission deviation accounts under Sharing Regulations.
- v. While calculating Regional transmission deviation account under Sharing Regulations, actual ISTS drawal data for such host State shall be reduced by quantum of 'Direct drawal' for each time-block as per formula at subclause (iv) of this Regulation.
- vi. For all other purposes including scheduling of power from such identified generating station by RLDC to the host State, GNA quantum equal to Connectivity with STU system shall be considered which shall not be considered for billing under Sharing Regulations."

HARPREET SINGH PRUTHI, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./010/2023-24]

Note : The Central Electricity Regulatory Commission (Connectivity and General Network Access to the inter-State Transmission System) Regulations, 2022 were published on 14.10.2022 in Part III, Section 4 of the Gazette of India (Extraordinary) No 520.